



Neutral Citation No. - 2026:AHC:168978

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
7669/2026**

सूरज

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : राकेश कुमार यादव

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जितेन्द्र कुमार, जी.ए., पुरुषोत्तम दीक्षित

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश कुमार यादव, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम दीक्षित तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

2- प्रस्तुत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 458 वर्ष 2026, धारा 69, 308(2), 351(2) बी.एन.एस., थाना कोतवाली, जनपद मैनपुरी में पंजीकृत प्रकरण में उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि सूचनाकर्ता/पीड़िता द्वारा एक झूठी एवं निराधार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि विवाह के झूठे वादे पर उसके साथ बलात्कार किया गया। पीड़िता का यह स्वीकारित प्रकरण है कि वह लगभग 32 वर्ष की वयस्क महिला थी और विगत 12 माह से आवेदक के संपर्क में थी तथा इस अवधि के दौरान दोनों के मध्य सहमति से संबंध रहे। आगे प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट टूटे हुए संबंध का परिणाम है और दोनों के मध्य संबंध खराब होने पर इसे दर्ज कराया गया। पीड़िता का कथन निरंतर बदलता रहा है और अभियोजन के कथानक पर अधिक विश्वास उत्पन्न नहीं करता। पीड़िता विवाहित महिला तथा तीन बच्चों की माता थी; उसने अपने पूर्व पति से तलाक नहीं लिया है।

4- विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि चक्षुदर्शी कथन की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि 12 माह की इस दीर्घ अवधि के दौरान पीड़िता ने आवेदक द्वारा उसके साथ किए गए कथित यौन शोषण के संबंध में पूर्णतः मौन बनाए रखा और तब तक इस संबंध में कुछ नहीं कहा, जब तक उसे यह ज्ञात नहीं हुआ कि आवेदक उससे विवाह करने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रथम कथित यौन संबंध तथा उसके पश्चात 12 माह तक संबंध जारी रहने और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने के बीच का लंबा अंतराल यह स्पष्ट करता है कि प्रकरण प्रेम संबंध से संबंधित है। जब संबंध खराब हो गया, तब पीड़िता द्वारा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दो वयस्क व्यक्तियों के मध्य सहमति से बने संबंध को आपराधिक अपराध में परिवर्तित कर दिया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

6- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, तथापि उन्होंने तथ्यों के पहलू पर विवाद नहीं किया।

7- मैंने दोनों पक्षों की परस्पर विरोधी प्रस्तुतियाँ सुनीं तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

8- सुशील अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, जिसमें साक्षियों को डराना-धमकाना भी सम्मिलित है, की संभावना, न्याय से बचने, जैसे कि देश छोड़कर जाने की संभावना आदि पर विचार करना होता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा अस्वीकार की जाए, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को आरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा नहीं, यह न्यायालय के विवेक का विषय है।

9- सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सुप्रीम कोर्ट प्रकरण 676 में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की आवश्यकता तब

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उत्पन्न होती है जब अभिरक्षात्मक विवेचना आवश्यक हो अथवा अपराध जघन्य हो अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो अथवा अभियुक्त के फरार होने की संभावना हो। मात्र इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, यह आवश्यक नहीं हो जाता कि गिरफ्तारी की ही जाए। गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य के मध्य अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी नियमित रूप से की जाती है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार होगा अथवा समन की अवहेलना करेगा और उसने वास्तव में पूरी विवेचना के दौरान सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई बाध्यता नहीं है।

10- **महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2024) 11 सुप्रीम कोर्ट प्रकरण 398** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि जहाँ किसी महिला द्वारा किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक, जानकारीपूर्वक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाता है, वहाँ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध केवल विवाह के कथित वादे के कारण था। किसी महिला के पुरुष साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे पुरुष साथी के प्रति व्यक्तिगत पसंद।

11- **प्रशांत बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, (2025) 5 सुप्रीम कोर्ट प्रकरण 764** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह कल्पना से परे है कि शिकायतकर्ता अपनी स्वैच्छिक सहमति के अभाव में अभियुक्त से मिलना जारी रखेगी अथवा उसके साथ लंबे समय तक संबंध या शारीरिक संबंध बनाए रखेगी।

12- इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 2528** के प्रकरण में यह टिप्पणी की है कि अनेक अवसरों पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ऐसी चिंताजनक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया गया है, जिसमें असफल अथवा टूटे हुए संबंधों को आपराधिकता का रंग दे दिया जाता है। बलात्कार का अपराध, जो अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध है, केवल उन्हीं प्रकरणों में लगाया जाना चाहिए जहाँ वास्तविक यौन हिंसा, दबाव अथवा स्वतंत्र सहमति का अभाव विद्यमान हो। प्रत्येक कटु संबंध को बलात्कार के अपराध में परिवर्तित करना न केवल अपराध की गंभीरता को तुच्छ बनाता है, बल्कि अभियुक्त पर अमिट कलंक तथा गंभीर अन्याय भी आरोपित करता है। ऐसे प्रकरण मात्र व्यक्तिगत मतभेद की सीमा तक सीमित नहीं रहते। इस संबंध में आपराधिक न्याय तंत्र का दुरुपयोग, जो पहले से ही कार्य के अत्यधिक बोझ का सामना कर रही न्यायपालिका के लिए गंभीर चिंता का विषय है, निंदा का आह्वान करता है।

13- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रजनीश सिंह @ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025**

(4) एससीसी 197 में अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ कोई महिला किसी पुरुष के साथ उसकी प्रकृति से पूर्णतः अवगत रहते हुए स्वेच्छा से दीर्घकालिक संबंध में रहती है और ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि उक्त संबंध तथ्य के संबंध में किसी भ्रांति अथवा प्रारंभ से ही दुर्भावनापूर्वक किए गए विवाह के झूठे वादे से प्रेरित था, वहाँ उस पुरुष को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

14- **प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 154** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के अंतर्गत दाखिल किए गए वास्तविक प्रकरणों की पहचान करने में अत्यंत सावधानी एवं सतर्कता बरतनी होगी तथा उक्त अपराध के गठन हेतु आवश्यक तत्वों की पहचान करनी होगी। ऐसे वास्तविक प्रकरणों को उन मुकदमों से स्पष्ट रूप से पृथक किया जाना चाहिए, जो सहमति रखने वाले वयस्कों के बीच सहमति से बने संबंधों के विवाद एवं असहमति के कारण कटु हो जाने अथवा बाद में मन बदल जाने से उत्पन्न होते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



15- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रवीश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1055 के प्रकरण में यह टिप्पणी की है कि यदि दो समझदार वयस्कों के मध्य दीर्घकाल तक शारीरिक संबंध रहे हैं, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने स्वेच्छा से सहमति वाला संबंध चुना था और विवाह के वादे का बाद में पूरा न किया जाना किसी अपराध को आकर्षित नहीं करेगा।

16- प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2019) 9 सुप्रीम कोर्ट प्रकरण 608 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ विवाह करने का वादा झूठा हो और वादा करने वाले व्यक्ति का वादा करते समय ही उसे पूरा करने का कोई इरादा न हो, बल्कि महिला को धोखा देकर उसे यौन संबंध बनाने के लिए सहमत करने का उद्देश्य हो, वहाँ तथ्य के संबंध में ऐसी “भ्रांति” उत्पन्न होती है, जो महिला की “सहमति” को दूषित कर देती है। तथापि, मात्र वादे का उल्लंघन किए जाने को झूठा वादा नहीं कहा जा सकता। अतः झूठे वादे को स्थापित करने के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक होगा कि वादा करने वाले व्यक्ति का वादा करते समय अपने वचन को पूरा करने का कोई इरादा ही नहीं था।

17- सोनू @ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2021) 18 एससीसी 517 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा कार्यवाही को निरस्त कर दिया, क्योंकि यह पाया गया कि अभियुक्त एवं पीड़िता के मध्य संबंध सहमति की प्रकृति के थे और दोनों पक्ष डेढ़ वर्ष की अवधि से संबंध में थे तथा तत्पश्चात अभियुक्त ने अभियोजिका से विवाह करने में अनिच्छा व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

18- अग्रिम जमानत के संबंध में विधि के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियाँ, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका तथा प्रकरण के समस्त संबद्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा यह देखते हुए कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आवेदक का प्रकरण उपर्युक्त निर्णयों के दायरे में पूर्णतः आता है, अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का प्रकरण बनता है।

19- तदनुसार, निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रिम जमानत का आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है:-

(i) उपरोक्त प्रकरण में सम्मिलित आवेदक- सूरज की गिरफ्तारी की दशा में, उसे विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर इस शर्त के अधीन रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी अथवा संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करे।

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी के साथ सहयोग करेगा तथा विवेचना संचालित किए जाने के प्रयोजनार्थ जब भी अपेक्षित हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा;

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो सके; तथा

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

20- किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की दशा में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वे आवेदक को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत कर सकें।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

12 अगस्त, 2026

ए.पी. पाण्डेय

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"